न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

रेफरेंस प्रार्थना पत्र सं. : 02/2019

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थी

1. मोहनकंवर पत्नी स्व0 पोकरसिंह
2. बालूसिंह पुत्र स्व0 पोकरसिंह
3. मालूसिंह पुत्र स्व0 पोकरसिंह
4. मदनसिंह पुत्र स्व0 पोकरसिंह
5. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 पोकरसिंह

सभी जातियान पुरोहित, निवासीयान कुडी गांव पाली रोड़, जोधपुर।

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956।

रेफरेंस प्रार्थना पत्र सं. : 03/2019

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थी

सोहनसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति पुरोहित, निवासी ग्राम सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर।

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956।

रेफरेंस प्रार्थना पत्र सं. : 04/2019

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

ब ना म

अप्रार्थी

गिरधारीसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति पुरोहित, निवासी ग्राम सांगरिया, तहसील व जिला जोधपुर।

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से तहसीलदार जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री एस0 एन0 राजपुरोहित उपस्थित।

—:आदेश:— **दिनांकः 28.06.2019**

तहसीलदार, जोधपुर ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 296 की 113 बीघा 5 बिस्वा भूमि डोली की भूमि रही तथा यह भूमि पुजारी प्रेमा वल्द हरजी पुरोहित के नाम दर्ज रही। बाद में उक्त भूमि भूलवंश पुजारी के खाते में दर्ज हो गई जिसका जमाबंदी में अंकन है। बाद में म्युटेशन संख्या 89 के जरिये बंटवाडा होने से खसरा नम्बर 296 रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा गिरधारी सिंह वल्द प्रेमसिंह तथा खसरा नम्बर 296/1 रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा पोकरसिंह पुत्र प्रेमसिंह तथा खसरा नम्बर 296/2 रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा सोहनसिह पुत्र श्री प्रेमसिंह के खातेदारी में दर्ज हुई। उक्त भूमि पुजारी डोलीदार के खुदकाश्त दर्ज हुई एवं बाद में पुजारी स्वंय खातेदार बन गया एवं मन्दिर का नाम विलुप्त हो गया। गलती व अनजाने में पुजारी के खाते में खातेदारी दर्ज कर दी गई। अन्त में धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। तीनों रेफरेंस अलग—अलग प्रस्तुत किये गये लेकिन मूल में पूर्व में भूमि खसरा नम्बर 296 रकबा 113 बीघा 5 बिस्वा ही थी। बंटवाडा होने से भूमि अलग—अलग खाते में दर्ज हुई इसलिए तीन रेफरेंस प्रस्तुत किये गये है लेकिन तीनों में विवाद का बिन्दू एक समान होने से तीनों का एक ही निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति तीनों प्रकरण में लगाई जावें।

राजकीय पैराकार ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र के संबंध में बहस करते हुए यह बताया कि उक्त भूमि मन्दिर की भूमि है। अप्रार्थी एवं उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी लगभग 56 वर्ष पूर्व गलत दर्ज कर दी गई, इसलिए उक्त भूमि में अप्रार्थीगण की खातेदारी को निरस्त करने के बाबत् रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जावें।

रेफरंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात् अप्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नम्बर 296/2 में से 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि भावना सुराणा पत्नी संजय राधा को विक्रय हुई जिसका म्युटेशन संख्या 2172 तहसीलदार जोधपुर ने वर्ष 2005 में स्वीकृत किया। ऐसी स्थिति में भावना सुराणा उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। बाद में अप्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सी.पी.सी व धारा 3 मियाद अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि जमाबंदी में पटवारी हल्का द्वारा मिसल बंदोबस्त के आधार पर मन्दिर डोली की होने का नोट लगाया गया, जिस पर अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के

न्यायालय में नोट हटाने का प्रस्तुत किया, वह प्रार्थना पत्र खारिज हुआ। जिसकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई, जो अपील संख्या 31/13 का निर्णय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने दिनांक 13.03.2013 को किया जिसमें अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने यह निर्णित किया कि **"जमाबन्दी संवत 2014–17, 2027 से 2030 में खसरा नम्बर 296 की 113 बीघा 9 बिस्वा भूमि सोना, पोकर, गिरधारी पिसरान पेमाराम कौम पुरोहित साकिन कुडी भगतासनी के खातेदारी में दर्ज है।"** इसके बाद उक्त भूमि लगातार अपीलान्ट एवं उनके भाईयों के खातेदारी में दर्ज रही। बाद में भाईयों का आपस में बंटवाडा हो जाने के कारण अलग–अलग बटा नम्बर बने। जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 तक उक्त भूमि अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज थी, जैसा कि अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान फार्म नम्बर 3 के सलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबंदियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि का लगान कायम किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि का लगान खातेदार/काश्तकार की हैसियत से चुकाया जाता रहा है, जैसा कि वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस के दौरान फार्म नम्बर 3 के संलग्न प्रस्तुत लगान अदायगी की रसीदे वर्ष 1965 से 1978 के अवलोकन से प्रकट होता है कि इससे यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि माफी की नही है।

उक्त निर्णय के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 84/2013 निर्णय दिनांक 23.04.14 के जरिये अप्रार्थी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार मानते हुए उपरोक्त भूमि के बाबत् डोली मन्दिर का नोट हटाये जाने का आदेश दिया, जिसकी पालना में तहसीलदार जोधपुर ने जमाबन्दी में से डोली मन्दिर का नोट हटाया। उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर ने अपने निर्णय में यह अंकित किया कि खसरा नम्बर 296 की 113 बीघा 9 बिस्वा भूमि सोना, पोकर, गिरधारी पीसरान प्रेमा पुरोहित के खातेदारी में दर्ज है तथा भूमि का लगान भी कायम किया गया तथा 1965 से लेकर 1971 तक की लगान की रसीदों से लगान जमा भी हुआ है तथा पिछले 54 वर्षों से उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में यह भी बताया कि संभागीय आयुक्त ने प्रकरण वर्ष 2013 में निर्णित किया, उस समय 54 वर्षों से भूमि अप्रार्थी वं उनके पूर्वजों के खातेदारी में दर्ज होना माना है, उसके पश्चात् 6 वर्ष की अवधि गुजर गई। इस प्रकार पिछले 62 वर्षों से भी अधिक समय से उपरोक्त भूमि अप्रार्थी एवं उनके पूर्वजों के खातेदारी में चल रही है एवं उनके द्वारा समय समय पर लगान भी जमा करवाया गया है। 62 वर्षो के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों को समाप्त नही किया जा सकता, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब वर्ष 1965 से लकर 1971

तक अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के विरूद्ध लगान कायम करके लगान वसूली भी की गई है तथा बाद में भी लगान जमा करवाया गया है, जिस संबंध में लगान की रसीदे न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से यह बखूबी स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी एवं उनके पूर्वजों ने वादग्रस्त भूमि का लगान भी सरकार को समय–समय पर अदा किया है एवं उक्त भूमि अप्रार्थी एंव उनके पूर्वजों के खातेदारी में दर्ज है। यह तथ्य तहसीलदारों को पिछलें 60 वर्षों से भी अधिक समय से ध्यान में है कि भूमि अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज है, क्योंकि राजस्व रेकर्ड राजस्व कर्मचारियों द्वारा ही संधारित किया जाता है। वकील अप्रार्थी ने अपने बहस में यह भी बताया कि माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय में अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि रेफरेंस के मामले में भी मियाद के प्रावधान लागु होंगे एंव जहां कही पर भी मियाद के प्रावधान नही है, वहां अधिकतम तीन वर्ष की मियाद हो सकती है जबकि उपरोक्त भूमि पिछले 62 वर्षों से भी अधिक समय से अप्रार्थी एवं उनके पूर्वजों की खातेदारी में चली आ रही है। बीच में जमाबन्दी में डोली मन्दिर का नोट लगाया गया जो नोट अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर व उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने हटाने का आदेश दिया एवं आदेश की पालना में जमाबन्दी में से मन्दिर का नोट हटाया गया। इस प्रकार उन्होनें अपनी बहस में यह बताया कि यह रेफरेंस बहुत ही देरिना एव मियाद बाहर है, डिले को कण्डोन करने के लिए न तो धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है, न ही देरी को माफ करने के बाबत् कोई कारण रेफरेंस प्रार्थना पत्र में अंकित है। वकील अप्रार्थी ने इस संबंध में राजस्व निर्णय **आर.आर.टी 2016 (1) पेज 651** का निर्णय प्रस्तुत कर यह कहा कि माननीय राजस्व मण्डल ने उक्त निर्णय में 25 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत रेफरेंस को मियाद बाहर मानते हुए खारिज किया है एवं इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि "Reference cannot be entertained after an unreasonable delay if no limitation is provided" मियाद के संबंध में वकील अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत **आर.आर.टी 2016 (1) 333** का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि "**मियाद के बिन्दू को सर्वप्रथम तय किया जाना आवश्यक है, उसके पश्चात् ही प्रकरण को मेरिट पर निर्णित किया जा सकता है।**" वकील अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत **आर.आर.टी 2016 (1) पेज 288** प्रस्तुत करके यह बतायाकि माननीय राजस्व मण्डल ने यह निर्धारित किया है कि **"No limitation provided for reference but it does not mean that power can be exercised at any time"**

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में यह भी बताया कि उक्त भूमि में मन्दिर की स्थिति जागीरदार की थी। मन्दिर उक्त भूमि का काश्तकार नही था एवं जैसे ही राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के तहत भूमि पुनर्ग्रहीत की गई तो मंदिर के स्थान पर राजस्थान सरकार का नाम दर्ज कर दिया गया क्योंकि मंदिर की हैसियत जागीरदार की थी तथा उक्त भूमि पर कब्जा/काश्त प्रेमा पुत्र हरजी अप्रार्थीगण के पूर्वज का था, इसलिए उक्त भूमि प्रेमा पुत्र हरजी अप्रार्थीगण के पूर्वज की थी, इसलिए उक्त भूमि प्रेमा पुत्र हरजी के खातेदारी में दर्ज कर दी गई। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है क्योंकि मंदिर किसी भी भूमि पर स्वयं काश्त नहीं कर सकता है एवं जागीर पुनर्ग्रहण के समय मंदिर की भूमि पर जो भी व्यक्ति काश्त करता था वह खातेदार बन गया, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो। ऐसे अनेकानेक प्रकरण है, जहाँ मंदिर की हैसियत जागीरदार की होने के कारण काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है एवं माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में उनके खातेदारी अधिकारों को उचित एवं न्यायसंगत माना है। इस संबंध में उन्होंने न्यायिक निर्णय 2018 **आर.आर.डी. पेज 700** का प्रस्तुत किया जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने यह निर्धारित किया कि ''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 224—प्रत्यर्थी/वादी द्वारा धारा 88—188 का वाद दायर—विचारण न्यायालय ने वाद डिक्री किया—अपीलीय न्यायालय ने उक्त निर्णय की पुष्टि की—मंडल में द्वितीय अपील—अभिनिर्धारित—दीवानी संहिता के आदेश 41 नियम 27 के साथ संलग्न दस्तावेज स्वीकार—सम्वत 2008 से 2011 की खसरा गिरदावरी में वादग्रस्त भूमि माफी की खातेदारी में तथा कॉलम 06 में कृषकों के नाम अंकित—जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात् माफीदार के स्थान पर राज्य सरकार भूमिधारी तथा काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार बन गए—अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय समवर्ती जिनमें कोई तात्विक अथवा विधिक त्रुटी नहीं—द्वितीय अपील सारहीन।''

वकील अप्रार्थी ने यह भी बताया कि रेफरेंस किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, म्यूटेशन को निरस्त करने के लिए किया जा सकता है। राजस्व प्रविष्टियों को अपास्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है जब तक जिस आदेश को तहसीलदार अनियमित व अवैधानिक मानता है, वह आदेश प्रस्तुत करके उस आदेश के विरूद्ध रेफरेंस नहीं करता है तब तक रेफरेंस मेन्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ऐसे आदेश या निर्णय की वैधानिकता को ही रेफरेंस करने वाला न्यायालय देखता है। आदेश या निर्णय गलत व त्रुटिपूर्ण है या नहीं एवं उसमें रेफरेंस करना उचित है या नही, इस पर विचार करके ही न्यायालय अपना मत व्यक्त करता है। इस संबंध में उन्होने

न्यायिक दृष्टांत **आर.आर.टी 2016 (1) पेज 396** प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने यह निर्धारित किया है **''राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956–धारा, 82–रेफरेंस–भूमि नदी/नाला/तालाब के रूप में दर्ज थी लेकिन अब यह बोदूलाल के नाम दर्ज की–निर्णय अथवा आदेश अथवा कार्यवाही के विरूद्ध रेफरेंस किया जा सकता है– राजस्व प्रविश्टियों को अपास्त नही किया जा सकता जब तक कि आदेश अपास्तन हो–किस आदेश के अन्तर्गत रेकॉर्ड में इन्द्राज किया गया–निर्णित, रेफरेंस स्वीकार योग्य नही है तथा खारिज किया तथापि पुनः रेफरेंस करने हेतु कलेक्टर स्वतंत्र है।''**

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के डी.बी.का निर्णय **2015 (3) आर.एल. डब्ल्यू 2313** प्रस्तुत करके भी वकील अप्रार्थी ने यह बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ''मियाद के बिन्दू को सर्वप्रथम तय किया जाना आवश्यक है।'' आर.आर.डी 2013 पेज 822 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करके वकील अप्रार्थी ने यह कहा कि **''कोई भी आदेश किसी भी व्यक्ति के पीठ पीछे नही पारित किया जा सकता। उक्त भूमि आगे से आगे विभिन्न व्यक्तियों को बेचान हुई है, उन सभी व्यक्तियों को भी इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाया गया है इसलिए भी रेफरेंस मेन्टेनेबल नही है''** वकील अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत **आर.आर.टी 2016 (1) 595** माननीय उच्च न्यायालय का प्रस्तुत करके बताया है कि उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया है कि **''जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात् जो व्यक्ति 40 वर्ष से खातेदार है एवं लगान अदा कर रहा है, उसके खातेदारी अधिकारों को समाप्त नही किया जा सकता है।''** इस प्रकार वकील अप्रार्थी ने तीनों रेफरेंस प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा यह बहस की गई है कि यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र लगभग 62 वर्ष की देरी के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है एवं माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में रेफरेंस के लिए अधिकतम तीन वर्ष की मियाद मानी है, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय आर.बी.जे. 2002 (9) पेज 193 में अभिनिर्धारित किया है। इतना देरी से रेफरेंस प्रस्तुत करने के बाबत् तहसीलदार ने न तो कोई कारण रेफरेंस प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, न ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए 62 वर्ष की देरी को कण्डोन नही किया जा सकता। इस प्रकार रेफरेंस को मियाद बाहर होना बताया। वकील अप्रार्थी ने यह भी बताया कि उक्त प्रकरण में भूमि विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय हुई है एवं उनके नाम म्युटेशन हुआ है, वे इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के अभाव में यह

रेफरेंस प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में यह भी बताया है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने अपील संख्या 31/2013 का निर्णय करते हुए यह माना है कि जमाबन्दी संवत 2014 से 2017 जमाबन्दी संवत 2027 से 2030 में खसरा नम्बर 296 की 113 बीघा 9 बिस्वा भूमि सोना, पोकर, गिरधारी पिसरान प्रेमा पुरोहित के खातेदारी में दर्ज है तथा उसके बाद भी उक्त भूमि अपीलान्ट व उनके भाईयों के खातेदरी में रही है। बाद में बंटवारा होने से अलग–अलग बटा नम्बर बने है। जमाबंदी संवत 2014 से लेकर वर्तमान जमाबंदी 2072 तक भी उक्त भूमि अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज है तथा दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि का सरकार द्वारा लगान भी कायम किया गया तथा लगान अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजों द्वारा जमा करवाया गया। जो लगान जमा करवाता है या जिनसे लगान लिया जाता है, वह टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार खातेदार होता है, जिस संबंध में लगान की रसीदों 1965 से 1978 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह भूमि माफी की भूमि नही थी तथा इस निर्णय के बाद उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने भी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 84/2013 निर्णय दिनांक 23.04.2014 में उक्त भूमि डोली मन्दिर की नही मानते हुए जमाबंदी में से नोट हटाये जाने का आदेश दिया, जिसकी पालना में तहसीलदार ने जमाबंदी में से डोली मन्दिर का नोट हटाया। इस प्रकार अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा परित निर्णय अन्तिम हो चुके है एवं रेसज्यूडिकेटा के प्रावधानों के अनुसार यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होना बताया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में इस तथ्य पर भी बल दिया कि कोई भी रेफरेंस प्रार्थना पत्र किसी आदेश, निर्णय, डिक्री या म्यूटेशन जो गलत हुआ है, उसके विरूद्ध ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टियों के विरूद्ध कोई रेफरेंस प्रार्थना पत्र नही प्रस्तुत किया जा सकता है तथा रेफरेंस प्रार्थना पत्र में उस आदेश, निर्णय या डिक्री की वैधानिकता का परीक्षण कर ही रेफरेंस प्रकरण के बाबत् कोई उचित निर्णय पारित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थी की आपत्तियों जो मियाद से संबंधित है, आवश्यक पक्षकारों से संबंधित है, रेसज्यूडिकेटा तथा अन्य न्यायालयों के पूर्व निर्णयों के बाबत् है, उनको ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया यह रेंफरेंस मेन्टेनेबल नही पाया जाता है। तहसीलदार जोधपुर ने अपने निर्णय में कही पर भी यह अंकित नही किया है कि वह किस आदेश, निर्णय, डिक्री या म्युटेशन के विरूद्ध रेफरेंस कर रहा है तथा वह किस आदेश को निरस्त करवाना चाहता है, न ही ऐसा कोई आदेश तहसीलदार ने अपने रेफरेंस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय **आर.आर.टी 2016**

(1) पेज 396 प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने यह निर्धारित किया है **''राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956–धारा, 82–रेफरेंस–भूमि नदी/नाला/तालाब के रूप में दर्ज थी लेकिन अब यह बोदूलाल के नाम दर्ज की–निर्णय अथवा आदेश अथवा कार्यवाही के विरूद्ध रेफरेंस किया जा सकता है– राजस्व प्रविष्टियों को अपास्त नही किया जा सकता जब तक कि आदेश अपास्तन हो–किस आदेश के अन्तर्गत रेकॉर्ड में इन्द्राज किया गया–निर्णित, रेफरेंस स्वीकार योग्य नही है तथा खारिज किया तथापि पुनः रेफरेंस करने हेतु कलेक्टर स्वतंत्र है।''** ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दू को देखते हुए आवश्यक पक्षकारों को देखते हुए राजस्व न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों को देखते हुए एंव विशेषकर इस रेफरेंस में किसी आदेश, निर्णय, डिक्री या म्यूटेशन का निरस्त करने के बाबत् किसी प्रकार का उल्लेख नही होने के कारण यह रेफरेंस अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है तथा चलने योग्य नही है। न्यायालय सम्भागीय आयुक्त व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के निर्णय का समग्र अवलोकन कर व उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए तहसीलदार चाहे तो एक माह के भीतर नये सिरे से रेफरेंस करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण एवं तथ्यों के अनुसार यह रेफरेंस अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण होने के कारण चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर